भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 263

गुरूवार, 3 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943 (शक)

रोजगार प्रदान करने के लिए शहरी मनरेगा कार्यक्रम

263. श्री के.सी. वेणुगोपालः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी छूटने के कारण शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शहरी मनरेगा कार्यक्रम शुरू करने के लिए श्रमिक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 की नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर 6.9% थी जो कि 2018-19 में 7.6% एवं 2017-18 में 7.7% थी।

(क) से (घ): सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल भारतीय संस्थान आधारित त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। जुलाई से सितंबर 2021 की अवधि हेतु त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) के दूसरे दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.10 करोड़ हो गया जो कि छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में बताए अनुसार इन क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ के मुकाबले, क्यूईएस के पहले दौर (अप्रैल-जून, 2021) में 3.08 करोड़ था। चयनित नौ क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार में, विनिर्माण का हिस्सा लगभग 39% है, इसके बाद शिक्षा 22% और स्वास्थ्य के साथ-साथ आईटी/बीपीओ दोनों क्षेत्रों में लगभग 10% है। व्यापार और परिवहन क्षेत्रों ने कुल अनुमानित श्रमिकों का क्रमशः 5.3% और 4.6% लगाया।

(ग) एवं (घ) : इस संबंध में श्रमिक संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

*****